

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जो. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237-द]

रायपुर, गुरुवार दिनांक 13 सितम्बर 2012—भाद्र 22, शक 1934

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-8/2011/नौ/55.—खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए खाद्य संरक्षा अपीलीय अधिकरण का गठन करती है, जिसका मुख्यालय रायपुर होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 25-8/2011/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-9-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 13th September 2012

NOTIFICATION

No. F 25-3/2008/IX/55.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 70 of Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby, constitutes a Food Safety Appellate Tribunal, for the whole State of Chhattisgarh, with headquarter at Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.